7

बहुभाषी भारत में मातृभाषा का महत्व और उसकी शिक्षा में उपयोगिता

रितिका*

किसी भी देश में भाषायी विविधता तभी विद्यमान रह सकती है जब वहाँ के लोगों की मातृभाषा पुष्पित और पल्लवित हो। प्रारंभिक स्तर पर मातृभाषा/घर की भाषा में ज्ञान अर्जन ही श्रेष्ठतम माना जाता है और मातृभाषा शिक्षण और सीखने के प्रतिफलों में वृद्धि करती है। यह बच्चों में योग्यता, समझ और रचनात्मकता का संचार करता है। भाषा, ज्ञान अर्जन, वैचारिक अभिव्यक्ति, सामाजिक व्यवहार आदि का माध्यम होती है। शिक्षा का सीधा संबंध भाषा से है। नई शिक्षा नीति, प्रारूप 2019 में मातृभाषाओं के विकास के लिए कई प्रावधान प्रस्तुत किए हैं जो शिक्षण में मातृभाषाओं की उन्नति के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकते हैं। इस लेख का उद्देश्य इस तथ्य पर प्रकाश डालना है कि ज्ञान अर्जन में मातृभाषा एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करती है और मातृभाषाओं का विकास बहुभाषिकता को बनाए रखने में मदद करता है।

निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल।
बिन निज भाषा-ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल॥

— भारतेंदु हरिश्चंद्र

बहुभाषिकता भारतीय जीवन के आंतरिक लय की द्योतक है। भारत एक बहुभाषी देश है जहाँ मातृभाषा या मातृभाषाओं के साथ-साथ अन्य भाषा या भाषाओं को भी व्यवहार में लाने वाले लोग रहते हैं। भारत के संदर्भ में यदि बहुभाषिकता को देखें तो प्राचीन काल से ही यह राष्ट्रीय विकास में सहयोगी रही है। यहाँ की बहुभाषिकता 'विविधता में एकता' को पुष्ट करती आई है।

भारत की अनेक भाषाएँ प्रमुख भारतीय भाषाएँ हैं और यहाँ के परिवेश में एकाधिक भाषा को व्यवहार में लाना स्वाभाविक-सामान्य स्थिति माना जाता है। यहाँ मातृभाषा या घर की भाषा के साथ-साथ अन्य भाषाओं को सहज स्वाभाविक रूप से अपनाए जाने की प्रकृति रही है। अन्य भाषाओं को अपनाने से व्यक्ति व्यापक समुदाय से जुड़ता है। शिक्षा, वाणिज्य-व्यापार, विधि और न्याय, जनसंचार, पर्यटन आदि की ज़रूरत इस जुड़ाव का कारण है। इस प्रकार की ज़रूरतें भारतीयों की अपनी बोली और क्षेत्रीय भाषा के साथ-साथ राजभाषा हिंदी व अंग्रेज़ी भाषा से जुड़ने का कारण बनती हैं। बहुभाषिकता के कई प्रकार होते हैं उनमें से दो प्रकार हैं— ऋणात्मक बहुभाषिकता और योगात्मक बहुभाषिकता। ऋणात्मक बहुभाषिकता

**कनिष्ठ परियोजना सहायक*, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, रा. शै. अ. प्र. प., नयी दिल्ली

में व्यक्ति एक या एक से अधिक भाषा सीखता है और उसमें प्रयोग की दक्षता प्राप्त करता है और दूसरी भाषा सीखने के प्रभाववश मातृभाषा भूलने लगता है। योगात्मक बहुभाषिकता की स्थिति, मातृभाषा को सुरक्षित रखते हुए एक या एक से अधिक भाषा सीखने और उनके प्रयोग की दक्षता प्राप्त करने से संबंधित है। ऐसे में योगात्मक बहुभाषिकता को ही बढ़ावा देने की आवश्यकता है जहाँ मातृभाषा भी पुष्पित-पल्लवित हो और अन्य भाषाओं का ज्ञान भी बढ़े।

भाषायी स्थिति

संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है। भारत में वैदिक काल में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा आज सिर्फ़ 24,821 लोगों की मातृभाषा है (भारतीय जनगणना, 2011)। एक ऐसी भाषा जिसमें इस देश का सर्वोत्तम साहित्य लिखा गया, वह आज समाज के बीच से लुप्तप्राय होने लगी है। भाषाएँ समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और ज्ञान प्रणालियों को संजोए होती हैं। भाषाओं को जीवित रखने के लिए हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए, क्योंकि भाषाओं का क्षय हमारे ज्ञान और संस्कृति का भी क्षय है। जब भी हम किसी एक भाषा को खोते हैं तो उसकी समूची साहित्यिक और सांस्कृतिक परंपरा को भी खो देते हैं।

भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार, 19,569 मातृभाषाओं का एक कच्चा आँकड़ा प्राप्त हुआ, जिसमें से 1369 मातृभाषाओं को भाषावैज्ञानिक आधार पर उचित मानते हुए स्वीकारा गया। इनमें से सिर्फ़ 270 मातृभाषाएँ ही ऐसी भाषाएँ हैं जिन्हें भारत में 10,000 से ज़्यादा लोग बोलते हैं। इन 270 मातृभाषाओं में से 123 मातृभाषाएँ आठवीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के अंतर्गत ही आती हैं तथा बाकी की 147 मातृभाषाएँ आठवीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में से नहीं हैं। यह आँकड़ा विभिन्न मातृभाषाओं के सीमित प्रसार तथा भारतीय भाषाओं के अल्प विकास को भी परिलक्षित करता है। (भारतीय जनगणना, 2011)

किसी भाषा को बोलने वालों की संख्या में वृद्धि और भाषा-विकास में अंतर है। उदाहरण के लिए, 2011 की जनगणना के अनुसार, हिंदी 52,83,47,1939 (43.63प्रतिशत) लोगों की मातृभाषा है। 2001 में यह संख्या 42,20,48,642 थी। 2001 और 2011 के बीच, हिंदी बोलने वालों की संख्या में 25.19 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई, इसमें लगभग 100 मिलियन नए हिंदी भाषी शामिल हुए। हिंदी भाषा के प्रति इतनी स्वीकार्यता का भाव हिंदी भाषा की भारत में अच्छी स्थिति को प्रदर्शित करता है। इसके साथ यह प्रश्न भी मन में अकस्मात ही उठता है कि जिस प्रतिशत से हिंदी भाषा बोलने वालों की संख्या बढ़ रही है, क्या उसी प्रतिशत से हिंदी भाषा का विकास गुणवत्ता की दृष्टि से भी हो रहा है? क्या वह विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे शोधों की भाषा है? सिर्फ़ हिंदी ही नहीं अपितु सभी मातृभाषाएँ या कम-से-कम वे मातृभाषाएँ जो आठवीं अनुसूची में शामिल हैं उनमें से कितनी भाषाएँ उच्च शिक्षा, नवाचार, अनुसंधान, प्रशासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, आयुर्विज्ञान, वाणिज्य-व्यापार, विधि और न्याय, जनसंचार माध्यम, पर्यटन आदि क्षेत्रों में वृहद स्तर पर उपयोग में लाई जा रही हैं? उपरोक्त दिए गए आँकड़े प्रदर्शित करते हैं कि मातृभाषाओं के विकास के लिए इनका उपयोग व उनमें शिक्षण की आवश्यक है।

बच्चा जब विद्यालय में आता है तो उसको अपनी मातृभाषा में बोलना, समझना अच्छे से आता है और, वह उसका संदर्भानुसार प्रयोग भी कर लेता है। जैसा कि *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005* में उल्लेखित है कि अपनी सहजात भाषिक क्षमता और परिवार तथा आसपास के लोगों से अंतःक्रिया का अनुभव लेकर जब बच्चे स्कूल आते हैं तो उनमें अपनी भाषा या कई मामलों में अनेक भाषाओं में संवाद करने की क्षमता पूर्णतः विकसित होती है।

हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से 'अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस' पर आयोजित एक समारोह में मातृभाषा में शिक्षण की अत्यधिक आवश्यकता को महसूस करते हुए उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने कहा, "दुनियाभर में कम-से-कम 40 फीसदी आबादी को उस भाषा में शिक्षा नहीं मिलती, जिसे वह बोलते या समझते हैं।"(*हिंदुस्तान समाचार*, 21 फरवरी 2020)। यही नहीं, भारत के संदर्भ में स्वयं *नई शिक्षा नीति, 2019(प्रारूप) के अनुसार* बड़ी भारी संख्या में बच्चे ऐसे स्कूलों में जा रहे हैं जहाँ ऐसी भाषा में शिक्षा दी जाती है जो उन्हें समझ में नहीं आती। इसके चलते वे सीखना शुरू करने से पहले ही पिछड़ने लगते हैं और अंततः शिक्षा की प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं। इसलिए यह बेहद ज़रूरी हो जाता है कि आरंभिक वर्षों में बच्चों की कक्षाएँ उनकी अपनी भाषाओं में ही चलाई जाएँ। बच्चे अपनी भाषा के विभिन्न संदर्भों, छवियों, उपयोगों को भली-भाँति जानते हैं इसलिए उन्हें अपनी भाषा में कुछ भी नया सीखने में अत्यधिक कठिनाई नहीं होती है।

विद्यालय में मातृभाषा में शिक्षण

प्राथमिक शिक्षा ही उच्च शिक्षा की नींव है। बाल्यावस्था में नई भाषाओं को सीखने की क्षमता बहुत अधिक होती है। अपनी भाषा में गहन अध्ययन बच्चों की मातृभाषा को और भी अधिक सुदृढ़ करता है। यह बच्चों की विषय में पकड़ को मज़बूत बनाता है और बेहतर परिणाम लाने में सहायक होता है। *नई शिक्षा नीति–2019 (प्रारूप)* ने भी मातृभाषा को माध्यम भाषा बनाने पर बल देते हुए कहा है—"किसी भी तरह के ज्ञान-अर्जन या ज्ञान निर्माण और सभी संज्ञानात्मक और सामाजिक गतिविधियों में भाषा सीधे-सीधे मध्यस्थता करती है। बाल विकास, बाल मनोविज्ञान और भाषा विज्ञान में हुए अध्ययन यह बताते हैं कि बच्चे अपनी मातृभाषा में सबसे बेहतर सीखते हैं। 2 से 8 वर्ष की उम्र के दौरान बच्चों में अनेक भाषाओं को सीखने की गज़ब की क्षमता होती है।" यदि बच्चों को सही मार्गदर्शन उपलब्ध करवाया जाए तो वे सुचारु रूप से भाषा अर्जन कर सकते हैं। *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005* भी प्राथमिक शिक्षा में भाषा शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य को रेखांकित करते हुए कहती है— "कक्षा में भाषिक क्षमता को उच्च स्तर के संवाद तथा ज्ञान-संवेदना के द्वारा विकसित करना ही प्रथम भाषा के शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए। कक्षा 3 के बाद से मौखिक और लिखित माध्यमों से उच्चस्तरीय संवाद कौशल और आलोचनात्मक चिंतन के विकास के प्रयास हों।"

अतः बच्चा जब स्कूल आता है तो उसको अपने सृजनात्मक स्तर के अनुसार अपनी भाषा का प्रयोग करना भली-भाँति आता है। वह जिस भाषा को अपने घर से सीख कर आ रहा है उसे कक्षा में और बेहतर बनाया जाना चाहिए। उसका प्रथम भाषा का

ज्ञान उसको अन्य भाषाओं को सीखने में भी मददगार होगा। वह कक्षा में भाषा को अलग-अलग विषयों के विभिन्न संदर्भों में पढ़ेगा। दूसरी भाषा को भी अपनी भाषा की मदद से समझने का प्रयास करेगा। यदि बच्चे को मातृभाषा में विज्ञान सहित अन्य विषयों को पढ़ाया जाए तो उसकी मातृभाषा पर पकड़ मज़बूत होगी जिससे वह उच्च शिक्षा और अन्य सृजनात्मक कार्यों जैसे रचनात्मक लेखन आदि में भी उसका उपयोग कर सकेगा।

जैसा कि हम जानते हैं कि बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षण देना अन्य किसी भी भाषा में शिक्षण देने से बेहतर होता है। यह न केवल उनकी अधिगम क्षमता को बढ़ाता है बल्कि उनको उनकी संस्कृति और अस्मिता का बोध भी करवाता है। भाषा अर्जन का अर्थ मात्र उस भाषा के शब्दों के अर्थों को समझ लेना भर नहीं होता, बल्कि शब्दों के पीछे छुपे मर्म को भी समझना होता है। उदाहरण के लिए, हमारे राष्ट्रीय पुष्प 'कमल' को ही लें जिसके हिंदी में कई समानार्थी शब्द हैं, जैसे— राजीव, सरोज, जलज और पुंडरीक आदि। 'कमल' का ही अर्थ देने वाले इन नामों में ऐतिहासिक, पौराणिक आदि विशिष्ट अर्थ समाए हैं जो इन्हें एक-दूसरे से अलग सिद्ध करते हैं

राजीव— जिस कमल का रंग नीला हो

सरोज— सर या जलाशय से उत्पन्न

पुंडरीक— श्वेत कमल

जलज— जो जल से जन्मा हो।

इस प्रकार यह तय है कि किसी भी शब्द का कोई पर्याय नहीं होता है। अर्थ की दृष्टि से जब किसी भाषा का एक शब्द उसी भाषा के किसी अन्य शब्द की जगह पूर्णतः नहीं ले सकता तो कोई भाषा किसी और भाषा की जगह पूर्णतः कैसे ले सकती है? संपूर्ण भाषा ही नहीं अपितु उसका प्रत्येक शब्द स्वयं में परंपरा के पतले धागों को पिरोए हुए होता है।

यदि बच्चे को मातृभाषा में शिक्षण न मिले तो उसकी मातृभाषा का विकास तो क्षीण होगा ही अपितु भाषा में बँधी परंपरा से भी वह अनभिज्ञ रह जाएगा। बच्चों को उनकी भाषा से अलग करना उनको संस्कृति और सभ्यता से अलग करना है। किसी भाषा से या अपनी स्वयं की भाषा से अनभिज्ञ होना, उसके सम्पूर्ण परिवेश से अनभिज्ञ होना है।

नयी शिक्षा नीति–2019 (प्रारूप) में सरकार ने भारतीय भाषाओं की उन्नति हेतु मातृभाषा को शिक्षा से जोड़ने का एक सराहनीय प्रयास किया है। यह मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने की बात ही नहीं कहता अपितु शिक्षाक्रम में लचीली-भाषा को बढ़ावा देता है, जैसे— त्रिभाषिक फ़ार्मूला, भारतीय भाषाओं पर कोर्स, संस्कृत का अध्ययन और इसके विशाल साहित्य का ज्ञान आदि को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना।

बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा मिले इसके लिए मातृभाषा में पाठ्यपुस्तकों की गुणवत्ता में सुधार, मातृभाषा में शिक्षण पद्धतियों का विकास और शिक्षकों की उपलब्धता आदि को सुनिश्चित करना होगा। अध्यापक व अभिभावक के स्तर पर भी मातृभाषा को प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता है। कक्षा में बच्चों से उनकी मातृभाषा में बातचीत की जानी चाहिए। यदि कोई पुस्तक या अन्य कोई पाठ्यसामग्री मातृभाषा में उपलब्ध नहीं है तो उस पर कम-से-कम चर्चा अवश्य की जा सकती है।

भाषा बोलने के साथ-साथ उससे जुड़े सृजनात्मक कार्यों को भी शामिल करना होगा।

इसके लिए मात्र भाषा को जानना काफ़ी नहीं है बल्कि भाषा की सुदृढ़ समझ, पूर्णता से उसका व्यवहार और भाषा में निरंतर नए-नए प्रयोग करना भी ज़रूरी है। कक्षा के संदर्भों में भाषा अर्जन के लिए सकारात्मक परिस्थितियाँ होनी चाहिए। समय-समय पर विद्यालय में विभिन्न क्षेत्रीय या प्रांतीय भाषाओं में निबंध लेखन या कविता लेखन प्रतियोगिताएँ भी आयोजित की जा सकती हैं। इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। अध्यापक जहाँ तक संभव हो, बच्चों को उनकी भाषा से संबंधित सामाजिक व सांस्कृतिक जानकारियों से भी अवगत कराएँ। कक्षा में इस प्रकार की गतिविधियाँ करवाएँ जिनसे बच्चे भाषा की सूक्ष्म जानकारियों को सहजता से समझ सकें और उनकी भाषा संबंधी त्रुटियाँ कम हो सकें। बच्चों की भाषा का गहन अवलोकन किया जाना चाहिए और फिर उनकी भाषा संबंधी गलतियों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा मानते हुए उसे सुधारने में बच्चों की सहायता की जानी चाहिए।

निष्कर्ष

यह कहा जा सकता है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षण न सिर्फ़ बच्चों में विषय की समझ को विकसित करने में सहायक है, अपितु यह मातृभाषाओं के विकास में भी सहायक है। बच्चों को उसी भाषा में ज्ञान दिया जाना ज़रूरी है जिसमें वे सोचते हैं और सहज महसूस करते हैं। मातृभाषा का ज्ञान अन्य भाषाओं को सीखने में भी सहयोगी होता है। हमें सदैव मातृभाषाओं के विकास में प्रयासरत रहना चाहिए ताकि मातृभाषाओं को अपने अस्तित्व के लिए लड़ना न पड़े, बल्कि वह हमारे अस्तित्व का हिस्सा हों। अंततः मातृभाषाओं की उन्नति और शिक्षा के विकास में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण आवश्यक है।

संदर्भ

भारतेंदु हरिश्चंद्र. *मातृभाषा प्रेम पर दोहे*. कविता कोश. https://bit.ly/3csX35B दिनांक 12.01.2020 को देखा गया।

भारतीय जनगणना 2011 http://censusindia.gov.in/2011Census/C-16_25062018_NEW.pdf से 09.02.2020 को देखा गया।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय. 2019. *नयी शिक्षा नीति 2019(प्रारूप)*. मानव संसाधन विकास मंत्रालय. भारत सरकार, नयी दिल्ली.

रा.शै.अ.प्र.प. 2006.*राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005*. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली.